

**राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.3(25)नविवि/3/2006

जयपुर, दिनांक: 18 AUG 2011

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.4.2011 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद्/पालिका द्वारा विगत वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 30.6.2011 तक छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

समसंख्यक आदेश द्वारा प्रदत्त उक्त छूट की अवधि आदेश जारी होने की तारीख से दिनांक 31.03.2012 तक बढ़ाये जाने की शासकीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

— Sd/ —

(गुरदयाल सिंह संघु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर..... (राजस्थान)।
8. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।


(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव-तृतीय